

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(15)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04175

जयपुर, दिनांक:-हस्ताक्षर दिनांक

:- आदेश :-

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 29.07.2024 के बिन्दु संख्या-28.01 की अनुपालना में निम्बाहेडा-चित्तौडगढ़, चाडो की ढाणी (सिणधरी)-बालोतरा एवं अनूपगढ़ में 03 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय कला संकाय (02 वर्ग) में खोले जाने की निम्नांकित शर्तों के अधधीन सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

- उक्त 03 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों (कला संकाय, 02 वर्ग) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार बजट मद में निम्नानुसार 63 नवीन पदों (प्रति महाविद्यालय 21 पद) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालयों के नाम	बजट मद	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1-राजकीय कन्या महाविद्यालय, निम्बाहेडा-चित्तौडगढ़ 2- राजकीय कन्या महाविद्यालय, चाडो की ढाणी (सिणधरी)-बालोतरा 3-राजकीय कन्या महाविद्यालय, अनूपगढ़	बजट मद- 2202- सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 03-राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) राज्य निधि	प्राचार्य	01	03
		सहायक आचार्य	07	21
		पुस्तकालयाध्यक्ष	01	03
		शारीरिक शिक्षक	01	03
		सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम	01	03
		अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	03
		सूचना सहायक	01	03
		वरिष्ठ सहायक	01	03
		कनिष्ठ सहायक	02	06
		प्रयोगशाला सहायक	01	03
		प्रयोगशाला वाहक	01	03
		बुक लिफ्टर	01	03
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	06
		कुल योग		

- उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में सृजित किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधधीन रहेगे



Signature valid

Digitally signed by Dr. Narendra Kumar Thori

Designation : Deputy Secretary

Date: 2024.08.29 15:34:46 IST

Reason: Approved

3. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सकों से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक आवर्तक/अनावर्तक व्यय (संवेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, संविदा व्यय, विशिष्ट सेवाओं पर व्यय) के संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं फर्नीचर, उपकरण, फोटोस्टेट मशीन एवं कम्प्यूटर क्रय करने तथा अस्थाई भवन में संचालन हेतु भवन का रंगरोगन एवं मरम्मत आदि के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
5. महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राशि रूपये 13.50 करोड़ (राशि रु 4.50 करोड़ प्रति महाविद्यालय) के व्यय की सहमति प्रदान की जाती है। आयुक्तालय कार्यादेश जारी करने से पूर्व वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने और भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401720 दिनांक 28.08.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)

शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Narendra Kumar Thori
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.08.29 15:34:46 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 20(101)आयो/आकाशि/24-25/03 कन्या/00061

विषय:- परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 29.07.2024 के बिन्दु संख्या 28.01 की अनुपालना में निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़, चाडों की ढाणी(सिणधरी)-बालोतरा एवं अनूपगढ़ में 03 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय (कला संकाय-02 वर्ग) खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पृष्ठांकन बाबत।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(15)शिक्षा/गुप-3/2024-04175 दिनांक 29.08.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

- 1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, कार्यालय, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
- 2 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 संयुक्त निदेशक, एचआरडी एवं प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृति आदेश की बिन्दु संख्या 03 के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 संयुक्त निदेशक, राजसेस, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों के संबंध में आयोजना शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों के अस्थाई भवन, भूमि, विश्वविद्यालय सम्बद्धता आदि के संबंध में उक्त महाविद्यालयों हेतु नियुक्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 नोडल प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार स्नातक स्तर पर खोले गये नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों के संबंध में संयुक्त निदेशक (राजसेस), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से समन्वय स्थापित कर अस्थाई भवन, भूमि, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही महाविद्यालय क्षेत्र के निकटतम स्थित विद्यालयों में संचालित एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार कला संकाय के 07 विषयों (हिन्दी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित करते हुए) के प्रस्ताव दिनांक 31.08.2024 तक आयोजना शाखा की ईमेल आईडी jdplan.cce@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 6 वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 7 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Vijeendra Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.08.30 15:48:42 IST
Reason: Approved